सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2016/151** दायर दिनांक **23.09.2016**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहनराम पुत्र स्व0 भोलूराम 2. गंगाराम पुत्र स्व0 भोलूराम समस्त जाति जाट निवासीगण भवाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. चेतनराम पुत्र पुरखाराम 2. श्रीराम पुत्र पुरखाराम समस्त जाति जाट निवासी मण्डूकरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 3. तहसीलदार डीडवाना 4. उप तहसीलदार छोटी खाटू 5. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक छोटी खाटू

दावा बाबत्
घोषणा खातेदार, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा एवं अवैध बेदखली के विरूद्ध स्थाई व्यादेश
अन्तर्गत धारा— 88, 90, 91, 92A, 188 R.T. Act.

उपस्थित—

1. श्री विकास ठोलिया अधिवक्ता वादी।
2. श्री अशोक भाकर अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01
3. श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 02

—:: **निर्णय** ::—

दिनांक **02.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम भवाद की सरहद में खेवट खतौनी नई 56 पुरानी 41 खसरा सं0 60 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम स्थित है। जो प्रतिवादी सं0 01 व 02 के नाम से दर्ज है। खसरा सं0 60 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा पर वादीगण के पिता स्वर्गीय श्री भोलूराम का पिछले 50 वर्ष से कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा उक्त भूमि में खातेदार रूपसिंह, खुमाणसिंह, प्रहलादसिंह, बालसिंह पुत्रगण चांदसिंह जाति राजपूत निवासी भवाद के नाम दर्ज था एवं कब्जे काश्त वादीगण के पिता भोलू पुत्र नानू जाट की थी। खसरा गिरदावरी 2032 से 2035 की प्रति वाद के साथ पेश है। उक्त भूमि एक खातेदार खुमाणसिंह पुत्र चांदसिंह जाति राजपूत निवासी भवाद ने दिनांक 25.04.1968 को उक्त खेत खसरा सं0 60 को चूनाराम पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल निवासी भवद के यहां 1000/— रू0 सिखे कलदार में गिरवी रख दिया था तथा इन रूपयों का ब्याज 1/— रू0 प्रति सैकडा था चूकी उक्त खसरा नं0 की भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण के पिता का था तो चुनाराम पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल ने विक्रम संवत 2025 माह बदी पंचमी का उक्त गिरवी रजिस्टर 1085/— रू0 में वादीगण के पिता को बेच दिया था इससे स्पष्ट है कि संवत 2025 में इस खसरा पर कब्जा काश्त वादीगण के पिता स्व0 भोलूराम का निर्बाद रूप से उनके स्वर्गवास तक चलता रहा तथा स्व0 भोलूराम के स्वर्गवास के पश्चात उक्त खसरा नं0 पर वादीगण का कब्जा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

काश्त निरन्तर चला आ रहा है। भोलूराम का स्वर्गवास सन् 1997 में हुआ था। स्व0 खुमाणसिंह द्वारा श्री चुनाराम पुत्र श्रीराम के नाम उक्त खेत को गिरवी रखने एवं श्री चुनाराम पुत्र श्रीराम मेघवाल द्वारा विक्रम संवत 2025 माह बदी पंचमी को वादीगण के पिता से 1085/– रू0 लेकर उक्त असल गिरवी लिखापढी वादीगण के पिता को सुपुर्द कर दी थी जो असल इस वाद के साथ पेश है। वादीगण के पिता द्वारा उक्त खेत के पेटे 1085 रू0 अदा करने के पश्चात भी भूलवश उक्त खेत के जमाबन्दी में बतौर खातेदार वादीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं हुआ।

वादीगण के पिता ने दिनांक 05.07.1974 को श्री खुमाणसिंह पुत्र चांदसिंह जाति राजपूत निवासी भवाद को 3700/– रू0 नकद सिखे कलदार देकर उक्त खसरा सं0 60 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा का एक बैचाननामा अपनी बच्ची तुलछादेवी के ससुर स्व0 श्री पुरखाराम के नाम करवाया था क्योंकि वादीगण के पिता के निजी रिश्तेदार थे एवं उक्त रकम 3700/– नकद सिखें कलदार भी वादीगा के पिता ने श्री खुमाणसिंह को दिये थे जिसका उल्लेख विक्रय पत्र दिनांक 05.04.1974 में उप पंजीयक अधिकारी डीडवाना की लिखावट से स्पष्ट है कि लिखावट के बदले में रू0 अदालत के बाहर प्राप्त करना स्वीकार किया है। विक्रय पत्र वाद के साथ पेश है। वादीगण के पिता स्व0 भोलूराम ने उक्त भूमि पुरखाराम के नाम जरूर करवाई थी परन्तु कब्जा काश्त वादीगण के पिता स्व0 भोलूराम का निर्बाध रूप से चला आ रहा था। वादीगण के पिता का स्वर्गवास 1997 में होने के पश्चात वादीगण का उक्त भूमि पर बिना किसी विवाद के कब्जा काश्त चला आ रहा है।

प्रार्थना वादीगण है कि वाके सरहद भवाद के खसरा सं0 60 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी वादीगण की घोषित प्रतिकुल कब्जा के आधार पर डिक्री पारित बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाई जावें तथा राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादी सं0 01 व 02 का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम अंकन किया जाकर राजस्व रेकर्ड की दुरूस्ती की जावें तथा प्रतिवादीगण उक्त खसरा भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करें तथा न ही किसी अन्य से करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 ने राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मण्डूकरा में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् व पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वकील वादी की बहस मुख्यतः उनके वाद पर आधारित रही तथा वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त राजस्व भूमि पुरखाराम पुत्र रामा की खरीद शुदा जायगा है जिसे उसने खुमानसिंह पुत्र चांदसिंह से दिनांक 05.07.1974 को खरीद की है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावें।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2016/151
दायर दिनांक 23.09.2016, निर्णय दिनांक 02.06.2017
मोहनराम बनाम चेतनराम, वगैरा।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुरखाराम पुत्र रामा ने उक्त जायगा जरिये रजिस्ट्रड बेचान से दिनांक 05.07.1974 को खरीद की है। रजिस्ट्रड बेचान (पंजीकृत दस्तावेज) को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

अतः तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादीगण का वाद खारीज किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः पुरखाराम पुत्र रामा ने उक्त जायगा जरिये रजिस्ट्रड बेचान से दिनांक 05.07.1974 को खरीद की है। रजिस्ट्रड बेचान (पंजीकृत दस्तावेज) को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होने तथा उक्त वाद इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण खारिज किया जाता है। पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोरी करें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 02.06.2017 को कोर्ट कैम्प–मण्डूकरा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner